जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति के सदस्य व समस्त कार्यदायी संस्थाओं एवं आई0एस0ए0 एजेन्सीयों के साथ अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता मे आयोजित बैठक दिनांक 25.09.2023 की जल जीवन मिशन के कार्यो की प्रगति समीक्षा का कार्यवृत्त।

अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, नमामि गंगे ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या 95/छिहत्तर–1–2020–20 स्वजल/2010 टी0सी0–अ लखनऊ दिनांक 21 जनवरी 2020 के द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के संगणनात्मक स्वरूप को सुदृढ़ बनानें तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन तथा उनके अनुश्रवण हेतु शासनादेश सं0 2211/38–5–2010–20 स्वजल/2010 (टी0सी0–अ), दिनांक 29 नवम्बर 2010 को संशोधित करते हुए जनपद स्तर पर गठित **"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन"** की बैठक दिनांक 25.09.2023 को आयोजित की गयी। आयोजित बैठक में निम्नलिखित द्वारा प्रतिभाग किया गया:–

1. मुख्य विकास अधिकारी, चन्दौली – उपाध्यक्ष
2. प्रभागीय वनाधिकारी स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य – सदस्य
3. जिला कृषि अधिकारी – सदस्य
4. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी – सदस्य
5. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0 प्र0 जल निगम चन्दौली – सदस्य सचिव
6. समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद– चन्दौली
7. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद– चन्दौली
8. प्रोजेक्ट मैनेजर, मेसर्स आयन एक्सचेंज इण्डिया लिमिटेड (जे0वी0)
9. प्रोजेक्ट मैनेजर, मेसर्स वी0एस0ए0–आई0पी0पी0एल0 एस0एम0सी0(जे0वी0)
10. प्रोजेक्ट मैनेजर, मेसर्स जी0ए0 इन्फ्रा– बाबा (जे0वी0)
11. प्रोजेक्ट मैनेजर, मेसर्स एच0एफ0सी0एल0– जे0डब्लू0आई0एल0 (जे0वी0)
12. प्रोजेक्ट मैनेजर, मेसर्स ईस्ट इण्डिया उद्योग– कावेरी (जे0वी0)
13. डी0सी0, डी0पी0एम0यू0, चन्दौली।
14. समस्त आई0एस0ए0 के प्रतिनिधि जनपद– चन्दौली
15. श्री संतोष कुमार गुप्ता, (आई0ई0सी0) स्वजन फाउण्डेशन लखनऊ
16. पी0आर0आई0 से श्री हिमांशु (मोडर्न ट्रेनिंग संस्थान) जनपद– चन्दौली

बैठक मे सर्व प्रथम अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा जनपद– चन्दौली मे जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजनाओ के निर्माण हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ से चयनित सभी 05 एजेन्सियो की प्रगति के सम्बन्ध मे अवगत कराया गया।

Scanned with OKEN Scanner

1. **मेसर्स आयन एक्सचेंज इण्डिया लिमिटेड (फेज–2)।**
फर्म द्वारा 573 नग राजस्व ग्रामो के कुल 164 नग पाइप पेयजल योजनाओं के प्राक्कलन तैयार किये गये है, जिसमें कुल 303 नग ग्राम पंचायत सम्मिलित है सभी 164 नग प्राक्कलनों की एस0एल0एस0एस0सी0 से स्वीकृति हो चुकी है। 164 नग परियोजनाओ के सापेक्ष 04 आवरण अनुबन्ध बनाये गये है। प्रथम आवरण अनुबन्ध मे 78 नग परियोजनाये, द्वितीय आवरण अनुबन्ध मे 56 नग परियोजनाये, तृतीय आवरण अनुबन्ध मे 09 नग परियोजनाये, चतुर्थ आवरण अनुबन्ध मे 21 परियोजनाये सम्मिलित है 164 नग पाइप पेयजल परियोजनाओं मे 223 नग नलकूप, 223 नग पम्प हाउस, 178 नग शिरोपरि जलाशय, 3479 कि0मी0 पाइप लाइन, गृह जल संयोजन 116136 नग, 117 नग सोलर प्लांट एवं 106 नग विद्युत संयोजन प्रस्तावित है। फर्म द्वारा अबतक प्रस्तावित कार्यो के सापेक्ष 187 नलकूप का कार्य, 76 नग पम्प हाउस का कार्य, 93 नग शिरोपरि जलाशय का कार्य, 44 नग सोलर प्लांट का कार्य, 1545 कि0मी0 पाइप लाइन एवं 83542 गृह जल संयोजन/एफ0एच0टी0सी0 का कार्य प्रगति पर है। फर्म द्वारा विगत सप्ताह मे मात्र 03 नलकूप, 04 पम्प हाउस, 01 सोलर प्लांट, 10 कि0मी0 पाइप लाइन एवं 03 नग शिरोपरि जलाशय का कार्य प्रारम्भ किया गया है। जो कि निर्धारित कार्यो के लक्ष्य के सापेक्ष अत्यंत ही कम है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि फर्म जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यो के करने के प्रति गंभीर नही है। फर्म द्वारा कार्यो मे प्रगति लाने हेतु सार्थक प्रयास नही किये जा रहे है। सभी 164 नग परियोजनाओं के कार्य मार्च 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है वर्तमान मे नलकूप की बोरिंग हेतु आवश्यक 22 रिंग मशीन के सापेक्ष मात्र 14 नग, आवश्यक 08 नग कम्प्रेशर के सापेक्ष मात्र 04 नग, कार्यो को करने हेतु आवश्यक मैन पावर 1870 के सापेक्ष मात्र 1460 नग ही है फर्म को निर्देशित किया गया कि लक्ष्य के अनुरूप मैन पावर एवं संसाधन नियोजित कर समय सीमा के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजनाओं से सम्बन्धित समस्त कार्य पूर्ण कराये। पुनर्गठन पाइप पेयजल योजनाओ के कार्यो पर विशेष रूची लेकर इन योजनाओं को यथाशीघ्र पूर्ण कराये। अधोहस्ताक्षरी के पास पाइप पेयजल योजनाओ मे पाइप लाइन बिछाने के दौरान तोडी गयी/काटी गयी सड़को को गुणवत्ता पूर्वक मोटरेविल एवं स्थाई मरम्मत न कराने की अत्यधिक शिकायतें प्राप्त हो रही है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि फर्म कार्यो को करने के प्रति गंभीर नही है। फर्म के परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि कुछ पाइप पेयजल योजनाओ मे बिटुमिनस रोड क्रासिंग की जानी है अधि0अभि0, लो0नि0वि0, चन्दौली द्वारा ऐसी योजनाओं मे रोड क्रॉसिग की अनुमति अभी तक नही दी गयी है। जिसके कारण पाइप पेयजल योजनाओ को जनोपयोगी बनाने मे समस्या उत्पन्न हो रही है। अधिशासी अभियन्ता जल निगम, फर्म के जनरल मैनेजर एवं परियोजना प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि अधि0अभि0, लो0नि0वि0 चन्दौली से समन्वय स्थापित कर पाइप पेयजल योजनाओ के अन्तर्गत रोड क्रॉसिंग की अनुमति प्राप्त करते हुए जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यो को गुणवत्ता पूर्वक समयबद्व पूर्ण कराये जिससे की ग्रामवासियो को अतिशीघ्र निर्धारित अवधि के अन्दर शुद्ध जल प्राप्त हो सके। **(कार्यवाही अधि0अभि0 जल निगम/अधिशासी अभियन्ता पी.डब्लू.डी./फर्म मेसर्स आयन एक्सचेंज)**

2. **कार्यदायी संस्था मेसर्स वी0एस0ए0 इन्फा–आई0पी0पी0एल0 एस0एम0सी0 जे0वी0(फेज–02)।**
फर्म द्वारा 220 नग राजस्व ग्रामो के कुल 127 नग पाइप पेयजल योजनाओं के प्राक्कलन तैयार किये गये है, जिसमें कुल 142 नग ग्राम पंचायत सम्मिलित है सभी 127 नग प्राक्कलनों की एस0एल0एस0एस0सी0 से स्वीकृति हो चुकी है। 127 नग परियोजनाओ के सापेक्ष 03 आवरण अनुबन्ध बनाये गये है। प्रथम आवरण अनुबन्ध मे 80 नग परियोजनाये, द्वितीय आवरण अनुबन्ध मे 31 नग परियोजनाये एवं तृतीय आवरण अनुबन्ध मे 16 नग परियोजनाये सम्मिलित है 127 नग पाइप पेयजल परियोजनाओं मे 144 नग नलकूप, 144 नग पम्प हाउस, 127 नग शिरोपरि जलाशय, 1138 कि0मी0 पाइप लाइन, गृह जल संयोजन 57059 नग, 127 नग सोलर प्लांट प्रस्तावित है। फर्म द्वारा अब तक प्रस्तावित कार्यो के सापेक्ष 132 नलकूप का कार्य, 67 नग पम्प हाउस का कार्य, 107 नग शिरोपरि जलाशय का कार्य, 56 नग सोलर प्लांट का कार्य, 1022 कि0मी0 पाइप लाइन एवं 50391 गृह जल संयोजन/एफ0एच0टी0सी0 का कार्य प्रगति पर है। फर्म द्वारा विगत सप्ताह मे मात्र 03 नलकूप, 04 पम्प हाउस, 0 सोलर प्लांट, 03 कि0मी0 पाइप लाइन एवं 0 नग शिरोपरि जलाशय का कार्य प्रारम्भ किया गया है। जो कि निर्धारित कार्यो के लक्ष्य के सापेक्ष अत्यन्त ही कम है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि फर्म जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यो के प्रति गंभीर नही है। सभी 127 नग परियोजनाओं के कार्य मार्च 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है। वर्तमान मे नलकूप की बोरिंग हेतु आवश्यक 04 रिंग मशीन के सापेक्ष मात्र 02 नग, आवश्यक 05 नग कम्प्रेशर के सापेक्ष मात्र 01 नग, कार्यो को करने हेतु आवश्यक मैन पावर 950 के सापेक्ष मात्र 460 नग ही है फर्म को निर्देशित किया गया कि लक्ष्य के अनुरूप मैन पावर एवं संसाधन नियोजित कर समय सीमा के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजनाओं से सम्बन्धित समस्त कार्य पूर्ण कराये। अधोहस्ताक्षरी के पास पाइप पेयजल योजनाओ मे पाइप लाइन बिछाने के दौरान तोड़ी गयी/काटी गयी सड़को को गुणवत्ता पूर्वक मोटरेविल एवं स्थाई मरम्मत न कराने की अत्यधिक शिकायतें प्राप्त हो रही है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि फर्म कार्यो को करने के प्रति गंभीर नही है फर्म के परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि कुछ पाइप पेयजल

Scanned with OKEN Scanner

योजनाओ मे बिटुमिनस रोड क्रासिंग की जानी है अधि0अभि0, लो0नि0वि0, चन्दौली द्वारा ऐसी योजनाओं मे रोड क्रॉसिंग की अनुमति अभी तक नही दी गयी है जिसके कारण पाइप पेयजल योजनाओ को जनोपयोगी बनाने मे समस्या उत्पन्न हो रही हैं। कुछ परियोजनाओ मे नहर क्रॉसिंग की जानी है, सिंचाई विभाग से समन्वय स्थापित करने के उपरान्त भी नहर क्रॉसिंग की अनुमति अब तक नही दी गयी है, अधिशासी अभियन्ता जल निगम एवं फर्म के परियोजना प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि अधि0अभि0, लो0नि0वि0 चन्दौली एवं अधिशासी अभियन्ता सिचाई विभाग से समन्वय स्थापित कर पाइप पेयजल योजनाओ के अन्तर्गत रोड क्रॉसिंग एवं नहर क्रॉसिंग की अनुमति प्राप्त करते हुए जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यो को गुणवत्ता पूर्वक समयबद्व पूर्ण कराये जिससे की ग्रामवासियो को अतिशीघ्र निर्धारित अवधि के अन्दर शुद्व पेयजल प्राप्त हो सके।

(कार्यवाही अधि0अभि0 जल निगम/ अधिशासी अभियन्ता पी.डब्लू.डी./ अधिशासी अभियन्ता सिंचाई विभाग/फर्म मेसर्स वी0एस0ए0 इन्फा)

3. **कार्यदायी संस्था मेसर्स जी0ए0 इन्फा– बाबा जे0वी0।**

फर्म द्वारा 264 नग राजस्व ग्रामो के कुल 93 नग पाइप पेयजल योजनाओं के प्राक्कलन तैयार किये गये है, जिसमें कुल 118 नग ग्रामपंचायत सम्मिलित है सभी 93 नग प्राक्कलनों की एस0एल0एस0एस0सी0 से स्वीकृति हो चुकी है। 93 नग परियोजनाओ के सापेक्ष 05 आवरण अनुबन्ध बनाये गये है। प्रथम आवरण अनुबन्ध मे 41 नग परियोजनाये, द्वितीय आवरण अनुबन्ध मे 19 नग परियोजनाये, तृतीय आवरण अनुबन्ध मे 17 नग परियोजनाये, चतुर्थ आवरण अनुबन्ध मे 10 नग परियोजनाये एवं पंचम आवरण अनुबन्ध मे 06 नग परियोजनाय सम्मिलित है 93 नग पाइप पेयजल परियोजनाओं मे 94 नग नलकूप, 94 नग पम्प हाउस, 93 नग शिरोपरि जलाशय, 1459 कि0मी0 पाइप लाइन, गृह जल संयोजन 39717 नग, सोलर प्लांट 93 नग प्रस्तावित है। फर्म द्वारा अब तक प्रस्तावित कार्यो के सापेक्ष 83 नलकूप का कार्य, 41 नग पम्प हाउस का कार्य, 83 नग शिरोपरि जलाशय का कार्य, 03 नग सोलर प्लांट का कार्य, 1137 किलो मीटर पाइप लाइन एवं 36249 गृह जल संयोजन/एफ0एच0टी0सी0 का कार्य प्रगति पर है। फर्म द्वारा विगत सप्ताह मे मात्र 02 नलकूप, 0 पम्प हाउस, 0 सोलर प्लांट, 08 कि0मी0 पाइप लाइन एवं 0 नग शिरोपरि जलाशय का कार्य प्रारम्भ किया गया है। जो कि निर्धारित कार्यो के लक्ष्य के सापेक्ष अत्यंत ही कम है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि फर्म जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यो के करने के प्रति गंभीर नही है। फर्म द्वारा कार्यो मे प्रगति लाने हेतु सार्थक प्रयास नही किये जा रहे है। सभी 93 नग परियोजनाओं के कार्य मार्च 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है वर्तमान मे नलकूप की बोरिंग हेतु आवश्यक 11 रिंग मशीन के सापेक्ष मात्र 03 नग, आवश्यक 03 नग कम्प्रेशर के सापेक्ष मात्र 03 नग, कार्यो को करने हेतु आवश्यक मैन पावर 950 के सापेक्ष मात्र 460 नग ही है फर्म को निर्देशित किया गया कि लक्ष्य के अनुरूप मैन पावर एवं संसाधन नियोजित कर समय सीमा के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजनाओं से सम्बन्धित समस्त कार्य पूर्ण कराये जाये।

(कार्यवाही अधि0अभि0 जल निगम/फर्म मेसर्स जी0ए0 इन्फा– बाबा जे0वी0)

4. **कार्यदायी संस्था मेसर्स एच0एफ0सी0एल0– जे0डब्लू0आई0एल0 जे0वी0।**

फर्म द्वारा 275 नग राजस्व ग्रामो के कुल 84 नग पाइप पेयजल योजनाओं के प्राक्कलन तैयार किये गये है, जिसमें कुल 93 नग ग्राम पंचायत सम्मिलित है सभी 84 नग प्राक्कलनों की एस0एल0एस0एस0सी0 से स्वीकृति हो चुकी है। 84 नग परियोजनाओ के सापेक्ष 06 आवरण अनुबन्ध बनाये गये है। प्रथम आवरण अनुबन्ध मे 14 नग परियोजनाये, द्वितीय आवरण अनुबन्ध मे 15 नग परियोजनाये, तृतीय आवरण अनुबन्ध मे 11 नग परियोजनाये, चतुर्थ आवरण अनुबन्ध मे 29 नग परियोजनाये, पंचम आवरण अनुबन्ध मे 14 नग परियोजनाये एवं छटवाँ आवरण अनुबन्ध मे 01 नग परियोजना सम्मिलित है, 84 नग पाइप पेयजल परियोजनाओं मे 85 नग नलकूप, 85 नग पम्प हाउस, 84 नग शिरोपरि जलाशय, 1048 कि0मी0 पाइप लाइन, गृह जल संयोजन 33163 नग, सोलर प्लांट 73 नग, विद्युत संयोजन 12 नग प्रस्तावित है। फर्म द्वारा अब तक प्रस्तावित कार्यो के सापेक्ष 56 नलकूप का कार्य, 38 नग पम्प हाउस का कार्य, 17 नग शिरोपरि जलाशय का कार्य, 00 नग सोलर प्लांट का कार्य, 120.23 कि0मी0 पाइप लाइन एवं 15013 नग गृह जल संयोजन/एफ0एच0टी0सी0 का कार्य प्रगति पर है। फर्म द्वारा विगत सप्ताह मे मात्र 04 नग नलकूप, 05 नग पम्प हाउस, 00 सोलर प्लांट, 20 कि0मी0 पाइप लाइन एवं 00 नग शिरोपरि जलाशय का कार्य पूर्ण किया गया है। जो कि निर्धारित कार्यो के लक्ष्य के सापेक्ष अत्यंत ही कम है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि फर्म जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यो के करने के प्रति गंभीर नही है। फर्म द्वारा कार्यो मे प्रगति लाने हेतु सार्थक प्रयास नही किये जा रहे है। फर्म के परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि वन विभाग द्वारा कार्य करने मे अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है। वन विभाग के क्षेत्र मे आने वाली सभी पाइप पेयजल योजनाओ का वन विभाग, राजस्व विभाग, जल निगम के सहायक अभियन्ता एवं फर्म के किसी भी प्रतिनिधि के उपस्थिति मे संयुक्त सत्यापन/निरीक्षण करा लिया जाये जिससे स्पष्ट हो सके कि कितने पेयजल योजनाओ के कार्य करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक है। जिससे की भारत सरकार एवं राज्य सरकार की अतिमहत्वकाक्षीं जल जीवन मिशन योजना के अर्न्तगत होने वाले कार्यो मे विलम्ब न होने पाये। फर्म

Scanned with OKEN Scanner

के परियोजना प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि कार्यो मे प्रगति लाये अन्यथा प्रांरभिक स्तर पर कार्यो मे वि
होने से निर्धारित अवधि मे कार्य पूर्ण करने मे कठिनाई होगी। पाइप पेयजल योजनाओ के कार्यो मे वांछित प्र
लायी जाये। सभी 84 नग परियोजनाओं के कार्य मार्च 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है वर्तमान
नलकूप की बोरिंग हेतु आवश्यक 18 रिंग मशीन के सापेक्ष मात्र 07 नग, आवश्यक 05 नग कम्प्रेशर के साप
मात्र 03 नग, कार्यो को करने हेतु आवश्यक मैन पावर 980 के सापेक्ष मात्र 570 मैन पावर ही है फर्म को निर्देशि
किया गया कि लक्ष्य के अनुरूप मैन पावर एवं संसाधन नियोजित कर समय सीमा के अन्तर्गत पाइप पेयज
योजनाओं से सम्बन्धित समस्त कार्य पूर्ण कराये जाये।

(कार्यवाही अधि0अभि0 जल निगम/फर्म मेसर्स एच0एफ0सी0एल0/प्रभागीय वनाधिकारी)

5. **कार्यदायी संस्था मेसर्स ईस्ट इण्डिया उद्योग लिमिटेड– कावेरी जे0वी0।**

फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि 86 ग्रामों का सर्वे कार्य पूर्ण होने के स्थिति मे है। फर्म के अधिकतर राजस्व ग्राम वन विभाग के क्षेत्र के अन्दर आ रहे है। उक्त के दृष्टिगत वन विभाग, राजस्व विभाग, जल निगम के सहायक अभियन्ता एवं फर्म के प्रतिनिधि के उपस्थिति मे समन्वय स्थापित करते हुए संयुक्त सत्यापन/निरीक्षण करा लिया जाये। जिससे स्पष्ट हो सके कि कितने राजस्व ग्रामों मे पेयजल योजनाओ को करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक है। जिससे की भारत सरकार एवं राज्य सरकार की अतिमहत्वकाक्षीं जल जीवन मिशन योजना के अर्न्तगत होने वाले कार्यो मे विलम्ब न होने पाये। फर्म के परियोजना प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि कार्यो मे प्रगति लाये अन्यथा प्रांरभिक स्तर पर कार्यो मे विलम्ब होने से निर्धारित अवधि मे कार्य पूर्ण करने मे कठिनाई होगी।

(कार्यवाही अधि0अभि0 जल निगम/ईस्ट इण्डिया उद्योग– कावेरी जे0वी0/प्रभागीय वनाधिकारी)

6. **पी0आर0आई0 से सम्बन्धित कार्य।**

मोडर्न ट्रेनिंग इन्स्टीयुट के प्रतिनिधि श्री हिंमाशु के द्वारा बताया गया कि 07 विकास खण्डों मे पंचायत प्रतिनिधियों– ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत सचिव, जिला पंचायत सदस्य, रोजगार सेवक, लेखपाल तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण पूर्ण कर दिया गया है शेष 02 विकास खण्ड मे शीघ्र ही उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न कर लिया जायेगा। मोडर्न ट्रेनिंग इन्स्टीयुट को निर्देशित किया जाता है कि सम्पूर्ण प्रशिक्षण कार्य समयबद्ध एवं गुणवत्ता पूर्वक पूर्ण कराया जाये।

(कार्यवाही अधि0अभि0 जल निगम/मेसर्स मोडर्न ट्रेनिंग इन्स्टीयुट/डी0पी0एम0यू0)

7. **आई0ई0सी0 से सम्बन्धित कार्य।**

आई0ई0सी0 मेसर्स स्वजन फाउण्डेशन संस्था के जिला समन्वयक श्री संतोष कुमार गुप्ता के द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा जन जागरूकता हेतु निर्धारित बारह गतिविधियो मे से 03 गतिविधियॉ –दीवार लेखन, ग्राम पंचायतो स्तरीय कार्यशाला एवं जल परीक्षण की गतिविधियॉ सभी ग्रामों मे पूर्ण कर ली गयी है अगले चरण मे शेष 09 गतिविधियो का कार्य टीमों के द्वारा प्रारम्भ करा दिया गया है।

आई0ई0सी0 से सम्बन्धित कार्यो को करने हेतु संस्था स्वजन फाउण्डेशन के जिला समन्वयक को निर्देशित किया जाता है कि सम्पुर्ण गतिविधियॉ गुणवत्ता पूर्वक समय से पूर्ण कराया जाये।

(कार्यवाही अधि0अभि0 जल निगम/स्वजन फॉउन्डेशन/डी0पी0एम0यू0)

8. **समस्त आई0एस0ए0 एजेन्सी।**

अधिशासी अभियन्ता, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि प्लानिंग व मोबिलाइजेशन फेज 1 की गतिविधियॉ आई0एस0ए0 एजेन्सी द्वारा पूर्ण की गयी है जिनके भुगतान की कार्यवाही प्रारम्भ है लेकिन इम्पलीमेंटेशन फेज की गतिविधियॉ नगण्य है। चुर्क युवक मंगल दल के प्रतिनिधि श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा सामुदायिक अंशदान के सम्बन्ध मे आ रही कठिनाईओं का उल्लेख किया गया। अधिशासी अभियन्ता द्वारा बताया गया कि एस0डब्लू0एस0एम0 से मार्गदर्शन प्राप्त कर नियामनुसार कार्यवाही की जायेगी। निर्देशित किया गया कि सभी आई0एस0ए0 एजेन्सीयॉ अपने उत्तरदायित्वों के अनुसार यथाशीघ्र इम्पलीमेंटेशन फेज के कार्यो मे प्रगति लाये तथा कार्यदायी संस्थाओ को अपेक्षित सहयोग प्रदान करें तथा सामुदायिक अंशदान मे ग्रामवासियों को प्रोत्साहित करते रहे तथा अपने समस्त आवंटित ग्राम पंचायतों मे सम्बन्धित एजेन्सी का नाम एवं सम्बन्धित कार्यकर्ता का नाम व मोबाईल नं0 सार्वजनिक स्थल जैसे विधालय, ग्राम सचिवालय की दीवार पर अंकित कराये। जिससे की भारत सरकार एवं राज्य सरकार की महत्वकाक्षीं जल जीवन मिशन योजना के कार्यो को पूर्ण कर जनोपयोगी बनाया जा सके।

(कार्यवाही अधि0अभि0 जल निगम/डी0पी0एम0यू0/समस्त आई0एस0ए0 एजेन्सी)

Scanned with OKEN Scanner

9. पेयजल योजनाओं के जल कर परिसर की भूमि में मिट्टी भराव के सम्बन्ध में फर्मो के परियोजना प्रबन्धक के द्वारा अवगत कराया गया कि कुछ परियोजनाओं मे जल कर परिसर मे मिट्टी भराव की अवश्यकता है जिसके कारण कार्य प्रभावित हो रहे है समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त उप जिलाधिकारियो से सम्पर्क कर जल कल परिसर के निकट सरकारी भूमि का चिन्हांकन करते हुए मिट्टी भराव का कार्य मनरेगा योजना से करा लिया जाये। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि यदि जल कल परिसर के निकट सरकारी भूमि उपलब्ध है तो उससे मिट्टी भराई का कार्य मनरेगा से कार्य कराया जा सकता है, परन्तु मनरेगा में मिट्टी ढुलाई का प्राविधान नहीं है। यदि फर्म अपने संशाधनों से उप जिलाधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सरकारी भूमि से मिट्टी ढुलाई कराते हुए जल कल परिसर में मिट्टी भराई का कार्य करा सकती है।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/समस्त उप जिलाधिकारी/डी.सी. मनरेगा/समस्त कार्यदायी संस्थाएँ)

10. सभी कार्यदायी संस्थाओं के परियोजना प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि जिन–जिन परियोजनाओं में वितरण प्रणाली बिछाने के दौरान सड़को कटिंग की गयी है, उन सड़को का शीघ्र ही गुणवत्तापूर्वक मोटरेबिल कर दिया जायें। जिससे ग्रामवासियों को आने–जाने में समस्या न उत्पन्न हो। पाइप लाइनो की हाइड्रोटेस्टिंग के उपरान्त सडकों की पुर्नस्थापना का कार्य स्थायी रूप से किया जायें। टी0पी0आई0 के डी0पी0एम0 को निर्देशित किया गया कि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा पाइप लाइन बिछाने के दौरान काटी गयी सड़को की मरम्मत/पुर्नस्थापना की जा रही है उन कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित करायी जाये। जिससे की भविष्य मे किसी भी प्रकार की विषम स्थिति उत्पन्न न होने पाये। गृह जल संयोजन घरों के अन्दर तक किये जाये, जिससे किये गये गृह जल संयोजन सुरक्षित बने रहें।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/समस्त कार्यदायी संस्थाएँ/टी.पी.आई./डी.पी.एम.यू.)

11. पूर्व समीक्षा बैठक मे निर्देशित किया गया था कि सभी संस्थाएँ अनिवार्य रूप से Bar Chart तैयार करते हुए नियत समय पर कार्य पूर्ण किये जाने की रणनीति तैयार कर उस पर क्रियान्वयन करना सुनिश्चित करे ताकि भविष्य मे आपत्ति जनक स्थिति उत्पन्न न हो। इस सम्बन्ध मे किसी भी फर्म द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नही की गयी है पुनः सभी फर्मो को उक्त के सम्बन्ध मे निर्देशित किया गया कि योजनाओ को पूर्ण करने के सम्बन्ध मे कार्य योजना Bar Chart तैयार करके अगली बैठक मे लाये।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/समस्त कार्यदायी संस्थाएँ)

12. कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा बताया गया कि भूमि विवाद के प्रकरण क्रमशः तहसील चन्दौली– 16, मुगलसराय– 18, सकलडीहा– 15 व चकिया मे 11 पेयजल योजनाओ मे गहरी भूमि, जलप्लावित भूमि, अतिक्रमण व अपर्याप्त भूमि के कारण कार्यो मे कठिनाई उत्पन्न हो रही है इस सम्बन्ध मे उपस्थित उपजिलाधिकारी चन्दौली के द्वारा बताया कि उनके तहसील मे 16 प्रकरण मे से 07 निस्तारित कर दिये गये है। शेष 09 का निस्तारण यथाशीघ्र किया जायेगा इसी प्रकार तहसील मुगलसराय के 18 मे से 08, सकलडीहा के 15 मे से 05 तथा चकिया के 11 मे से 07 प्रकरण निस्तारित बताये गये। निर्देशित किया गया कि उपजिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर राजस्व विभाग, अधिशासी अभियन्ता जल निगम, डी0पी0एम0यू0 व कार्यदायी संस्था की टीम गठित करा कर प्रत्येक प्रकरण का सात दिनो के अन्दर निस्तारण कराना सुनिश्चित करे।

(समस्त उपजिलाधिकारी/कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/डी0पी0एम0यू0/समस्त कार्यदायी संस्थाएँ)

13. समस्त फर्मो के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देशित किया गया कि पाइप पेयजल योजनाओ मे सम्मिलित जिन राजस्व ग्रामों मे समस्त गृह जल संयोजन करा कर ejalshakti.gov.in Portal पर एफ0एच0टी0सी0 की फिडिंग करायी जा चुकी है उन पाइप पेयजल योजनाओ के शिरोपरि जलाशय का कार्य पूर्ण करते हुए ग्रामो का ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव से हर घर जल का सर्टिफिकेट प्राप्त कर अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) को उपलब्ध कराये जिससे हर घर जल सर्टिफिकेट को पोर्टल पर अपलोड करा कर जनपद की रैकिंग मे सुधार लाया जा सके।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/डी0पी0एम0यू0/समस्त कार्यदायी संस्थाएँ)

14. समस्त फर्मो के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देशित किया गया कि जो परियोजनाये बाढ़ प्रवाहित क्षेत्रों एवं लो लैण्ड क्षेत्रो मे प्रस्तावित है। उन पाइप पेयजल योजनाओ के शिरोपरि जलाशय, पम्प हाउस एवं बाउण्ड्री वाल के कार्य आवश्यक मात्रा मे पिलिंथ निर्धारण कर कार्य कराया गया जिससे की भविष्य मे किसी प्रकार की विषम स्थिति उत्पन्न न हो।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/डी0पी0एम0यू0/टी0पी0आई0/समस्त कार्यदायी संस्थाएँ)

उपरोक्त से स्पष्ट है कि सभी फर्मो के पास आवश्यक मैन पावर की कमी है तथा इनके द्वारा भारत सरकार एवं राज्य सरकार की अतिमहत्वकांक्षी योजना के निर्माण कार्यो मे विशेष रूची नही ली जा रही है जिससे

Scanned with OKEN Scanner

योजनाओ के कार्यो को पूर्ण करने मे विलम्ब हो रहा है। सभी फर्मो को निर्देशित किया गया कि शासन द्वारा निर्धारित समय अवधि मे कार्यो को पूर्ण कराया जाना आवश्यक है। जिसके सम्बन्ध मे आप सभी निर्माण कार्यो की प्रगति एवं गुणवत्ता पर ध्यान देते हुए समयान्तर्गत पूर्ण कराये जिससे की योजनाओ को ससमय संचालित कर योजनाओ से लाभान्वित होने वाली जनसंख्या को शुद्व पेयजल उपलब्ध हो सके।

जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक को समाप्त करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि अगामी बैठक मे आयोजित बैठक का तुलनात्मक पुस्तिका तैयार करते हुए प्रस्तुत किया जाये जिसकी प्रथम दृष्टया समीक्षा की जायेगी। जिससे की फर्मो द्वारा कराये गये कार्यो की प्रगति की वृद्वि की वास्तविक जानकारी हो सके तथा जनपद मे जल जीवन मिशन हेतु चयनित कार्यदायी फर्मे यह भी सुनिश्चित कर ले कि कार्यो की गुणवत्ता मे किसी भी प्रकार की शिथिलता प्राप्त होती है तो सम्बन्धित फर्म के विरूद्व आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(निखिल टी. फुंडे)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
चन्दौली।

कार्यालय जिलाधिकारी, चन्दौली।

पत्रांक 4122 / जल जीवन मिशन / 463 दिनांक: 03.10.23

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को सूचनार्थ।
2. संयुक्त प्रबंधक निदेशक, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ को सूचनार्थ।
3. आयुक्त महोदय, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
4. मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (वारा0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), वाराणसी।
6. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), वाराणसी।
7. मुख्य विकास अधिकारी, चन्दौली।
8. प्रभागीय वनाधिकारी स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य जनपद– चन्दौली।
9. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चन्दौली।
10. जिला विकास अधिकारी, चन्दौली।
11. जिला कृषि अधिकारी, चन्दौली।
12. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, चन्दौली।
13. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0 प्र0 जल निगम(ग्रामीण) चन्दौली।
14. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, चन्दौली।
15. अधिशासी अभियन्ता, पी0डब्लू0डी0, चन्दौली।
16. समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद– चन्दौली।
17. समस्त कार्यदायी संस्थाओ के प्रोजेक्ट मैनेजर, जनपद– चन्दौली।
18. डी0पी0एम0यू0/टी0पी0आई0, चन्दौली।
19. समस्त आई0एस0ए0 एजेन्सीयॉ जनपद– चन्दौली।
20. आई0ई0सी0, स्वजन फाउण्डेशन लखनऊ।
21. पी0आर0आई0, मोडर्न ट्रेनिंग संस्थान, जनपद– चन्दौली।

जिलाधिकारी
चन्दौली।

Scanned with OKEN Scanner